

निर्वाचन परणाम का प्रकाशन

झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 85 के अनुसरण में मैं एतद् द्वारा यह अधिसूचित करती हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में नामित व्यक्ति, स्तम्भ (2) में अंकित पद पर, स्तम्भ (5) में वर्णित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है :-

व्यक्ति का नाम	पद का विवरण			ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद जिससे संबंधित है (निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम सहित)
	पद	आरक्षित/अनारक्षित	महिला/अन्य	
1	2	3	4	5
वसन्त राम	ग्राम पंचायत सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	II पलामू/01/01/पंशा-1 / रानीदेवा
शकुनतला देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/01/पंशा-2 / रानीदेवा का अंश, अघौरा का अंश
सविता देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/01/पंशा-3 / अघौरा का अंश चेचरिया, तेनुआ कला
अनिता देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	II पलामू/01/01/पंशा-4 / काईरियाडीह
उमेश कुमार सिंह	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	अन्य	II पलामू/01/01/पंशा-5 / पंशा का अंश टोला रघुनाथपुर
शोभा देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/01/पंशा-6 / पंशा का अंश
आशा देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु0 जाति	महिला	II पलामू/01/01/पंशा-7 / पंशा का अंश
उपेन्द्र पासवान	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	अन्य	II पलामू/01/01/पंशा-8 / पंशा का अंश
सतेन्द्र सिंह	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	अन्य	II पलामू/01/01/पंशा-9 / पंशा का अंश टोला बरठीहा
बुचुन राम	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु0 जाति	अन्य	II पलामू/01/01/पंशा-10 / राणाडीह
तिलेसरी देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु0 जाति	महिला	II पलामू/01/01/पंशा-11 / राणाडीह का अंश, धवलपुरा

स्थान :- मेदिनीनगर

तारीख :- 06.01.2011

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर।

टिप्पणी :-1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तक स्तम्भ-3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति-जाति, पिछड़ा वर्ग यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तक "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।

2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित है तब स्तम्भ 4 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाये।

ग्राम पंचायत-रामबांध

प्रखण्ड-मोहम्मदगंज

पंचायत
निर्वाचन

प्रपत्र - 23

(नियम 85 देखिये)

निर्वाचन परणाम का प्रकाशन

झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 85 के अनुसरण में मैं एतद् द्वारा यह अधिसूचित करती हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में नामित व्यक्ति, स्तम्भ (2) में अंकित पद पर, स्तम्भ (5) में वर्णित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है :-

व्यक्ति का नाम	पद का विवरण			ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद जिससे संबंधित है (निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम सहित)
	पद	आरक्षित/अनारक्षित	महिला/अन्य	
1	2	3	4	5
इसराफिल अंसारी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	अन्य	II पलामू/01/02/रामबांध-1 / सुभानीवीधा (रामबांध आजाद मुहल्ला, रामबांध)
शेखा मो0 इफतेखार	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	अन्य	II पलामू/01/02/रामबांध-2 / आजाद मुहल्ला(रामबांध)
पार्वती देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/02/रामबांध-3 / धोवीयाडीह (रामबांध) बरवाडीह
शबना खातुन	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/02/रामबांध-4 / तारा, खरखोल
विमला देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु0 जाति	महिला	II पलामू/01/02/रामबांध-5 / तारा अंश
सैरुन निसा	ग्राम पंचायत	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	II पलामू/01/02/रामबांध-6 / दूवा

	सदस्य				
शकील अख्तर	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	अन्य	II पलामू/01/02/रामबांध-7	दूवाअंश कोसिआरा
सरिता देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु0 जाति	अन्य	II पलामू/01/02/रामबांध-8	कोसिआरा अंश
सुधीर प्र0 गुप्ता	ग्राम पंचायत सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	II पलामू/01/02/रामबांध-9	कोसिआरा अंश, बलडिहरी
संगीता देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु0 जाति	महिला	II पलामू/01/02/रामबांध-10	कोसिआरा अंश
अफसाना ख़ातुन	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/02/रामबांध-11	बलडिहरी अंश

स्थान :- मेदिनीनगर

तारीख :-06.01.2011

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर।

टिप्पणी :-1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तक स्तम्भ-3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति-जाति, पिछड़ा वर्ग यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तक "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।

2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित है तब स्तम्भ 4 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाये।

ग्राम पंचायत-लटपौरी

प्रखण्ड-मोहम्मदगंज

पंचायत
निर्वाचन

प्रपत्र - 23

(नियम 85 देखिये)

निर्वाचन परणाम का प्रकाशन

झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 85 के अनुसरण में मैं एतद् द्वारा यह अधिसूचित करती हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में नामित व्यक्ति, स्तम्भ (2) में अंकित पद पर, स्तम्भ (5) में वर्णित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है :-

व्यक्ति का नाम	पद का विवरण			ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद जिससे संबंधित है (निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम सहित)
	पद	आरक्षित/अनारक्षित	महिला/अन्य	
1	2	3	4	5
नरसिंह प्रसाद	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु0 जाति	अन्य	II पलामू/01/03/लटपौरी-1 / माली

महेश शर्मा	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	अन्य	II पलामू/01/03/लटपौरी-2 / माली अंश, लटपौरी
मीरा देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/03/लटपौरी-3 / लटपौरी अंश
गीता देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	II पलामू/01/03/लटपौरी-4 / लटपौरी अंश टोला बेगमपुरा
विवेन्द्र राम	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु० जाति	अन्य	II पलामू/01/03/लटपौरी-5 / डाली
शशिकला देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु० जाति	महिला	II पलामू/01/03/लटपौरी-6 / डाली अंश टोला सिंड़हा, गजरही
समबुल तारा	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/03/लटपौरी-7 / सबनवा
मोखतार अंसारी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	अन्य	II पलामू/01/03/लटपौरी-8 / सबनवा अंश
इलीमन वीवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/03/लटपौरी-9 / सबनवा अंश, रसुलपुर
प्रमिला देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु० जाति	महिला	II पलामू/01/03/लटपौरी-10 / भगड़ा, पचपोखरी

स्थान :- मेदिनीनगर

तारीख :-06.01.2011

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर।

टिप्पणी :-1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तक स्तम्भ-3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति-जाति, पिछड़ा वर्ग यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तक "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।

2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित है तब स्तम्भ 4 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाये।

ग्राम पंचायत-कोलहुआ
सोन०

प्रखण्ड-मोहम्मदगंज

पंचायत
निर्वाचन

प्रपत्र - 23

(नियम 85 देखिये)

निर्वाचन परणाम का प्रकाशन

झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 85 के अनुसरण में मैं एतद् द्वारा यह अधिसूचित करती हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में नामित व्यक्ति, स्तम्भ (2) में अंकित पद पर, स्तम्भ (5) में वर्णित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है :-

व्यक्ति का नाम	पद का विवरण			ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद जिससे संबंधित है (निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम सहित)
	पद	आरक्षित/अनारक्षित	महिला/अन्य	
1	2	3	4	5
आकाश कुमार रजक	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु० जाति	अन्य	II पलामू/01/04/कोल्हुआ सोन०-1 / गाजीविहरा
रीना देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/04/कोल्हुआ सोन०-2 / गाजीविहरा का अंश
भगमनिया देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु० जाति	महिला	II पलामू/01/04/कोल्हुआ सोन०-3 / गाजीविहरा का अंश टोला लेकुआटीकर
देवन्ती देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/04/कोल्हुआ सोन०-4 / गाजीविहरा का अंश टोला लेकुआटीकर सहार विहरा
शिव कुमार मेहता	ग्राम पंचायत सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	II पलामू/01/04/कोल्हुआ सोन०-5 / विरधवर
मंजु देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	II पलामू/01/04/कोल्हुआ सोन०-6 / विरधवर अंश
लक्ष्मण कुमार सिंह	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	अन्य	II पलामू/01/04/कोल्हुआ सोन०-7 / विरधवर अंश
आरती देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/04/कोल्हुआ सोन०-8 / सोनवरसा
परमेन्द्र कुमार सिंह	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	अन्य	II पलामू/01/04/कोल्हुआ सोन०-9 / सोनवरसा अंश टोला नवडीहवा
सोविन्द्र प्रसाद गुप्ता	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	अन्य	II पलामू/01/04/कोल्हुआ सोन०-10 / कोल्हुआ
शिव कुमारी देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु० जाति	महिला	II पलामू/01/04/कोल्हुआ सोन०-11 / कोल्हुआ अंश टोला नदवापर

स्थान :- मेदिनीनगर

तारीख :- 06.01.2011

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर।

टिप्पणी :-1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तक स्तम्भ-3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति-जाति, पिछड़ा वर्ग यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तक "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।

2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित है तब स्तम्भ 4 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाये।

ग्राम पंचायत-भजनिया

प्रखण्ड-मोहम्मदगंज

पंचायत
निर्वाचन

प्रपत्र - 23

(नियम 85 देखिये)

निर्वाचन परणाम का प्रकाशन

झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 85 के अनुसरण में मैं एतद् द्वारा यह अधिसूचित करती हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में नामित व्यक्ति, स्तम्भ (2) में अंकित पद पर, स्तम्भ (5) में वर्णित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है :-

व्यक्ति का नाम	पद का विवरण			ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद जिससे संबंधित है (निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम सहित)
	पद	आरक्षित/अनारक्षित	महिला/अन्य	
1	2	3	4	5
बबिता कुमारी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु0 जाति	महिला	II पलामू/01/05/भजनिया-1 / भजनियां
शिला देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/05/भजनिया-2 / भजनियां का अंश
लीलावती देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/05/भजनिया-3 / भजनियां का अंश
पुष्पा देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	II पलामू/01/05/भजनिया-4 / भजनियां का अंश
प्रतीमा देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/05/भजनिया-5 / भजनियां का अंश
सुनील कुमार चौधरी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	अन्य	II पलामू/01/05/भजनिया-6 / भजनियां का अंश
संतोष कुमार विश्वकर्मा	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	अन्य	II पलामू/01/05/भजनिया-7 / भजनियां का अंश, पोटा
ठाकुरी देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु0 जाति	महिला	II पलामू/01/05/भजनिया-8 / करडंडा
भिखारी रजवार	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु0 जाति	अन्य	II पलामू/01/05/भजनिया-9 / करडंडा अंश, पिपराबांध

स्थान :- मेदिनीनगर

तारीख :-06.01.2011

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर।

टिप्पणी :-1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तक स्तम्भ-3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति-जाति, पिछड़ा वर्ग यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तक "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।

2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित है तब स्तम्भ 4 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाये।

ग्राम पंचायत-गोड़ाडीह

प्रखण्ड-मोहम्मदगंज

पंचायत
निर्वाचन

प्रपत्र - 23

(नियम 85 देखिये)

निर्वाचन परणाम का प्रकाशन

झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 85 के अनुसरण में मैं एतद् द्वारा यह अधिसूचित करती हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में नामित व्यक्ति, स्तम्भ (2) में अंकित पद पर, स्तम्भ (5) में वर्णित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है :-

व्यक्ति का नाम	पद का विवरण			ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद जिससे संबंधित है (निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम सहित)
	पद	आरक्षित/अनारक्षित	महिला/अन्य	
1	2	3	4	5
फरजाना खातून	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/06/गोड़ाडीह-1 / कररीया
जफरुद्दीन अंसारी	ग्राम पंचायत सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	II पलामू/01/06/गोड़ाडीह-2 / कररीया अंश, कवलपुरा
मुलकी देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु0 जाति	महिला	II पलामू/01/06/गोड़ाडीह-3 / बटउआ
दयवन्ती देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु0 जाति	महिला	II पलामू/01/06/गोड़ाडीह-4 / बटउआ का अंश, गंगापुर उर्फ लंकापुर
पुनम देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/06/गोड़ाडीह-5 / बटउआ का अंश, गोड़ाडीह
उषा देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/06/गोड़ाडीह-6 / गोड़ाडीह का अंश
विगु राम	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु0 जाति	अन्य	II पलामू/01/06/गोड़ाडीह-7 / गोड़ाडीह का अंश

रूविता देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	अन्य	II पलामू/01/06/गोड़ाडीह-8 / गोड़ाडीह का अंश, भाली
साधना देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	अन्य	II पलामू/01/06/गोड़ाडीह-9 / भाली का अंश
वूचिला देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	II पलामू/01/06/गोड़ाडीह-10 / भाली का अंश

स्थान :- मेदिनीनगर

तारीख :-06.01.2011

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर।

टिप्पणी :-1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तक स्तम्भ-3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति-जाति, पिछड़ा वर्ग यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तक "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।

2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित है तब स्तम्भ 4 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाये।

ग्राम पंचायत-मोहम्मदगंज

प्रखण्ड-मोहम्मदगंज

पंचायत
निर्वाचन

प्रपत्र - 23

(नियम 85 देखिये)

निर्वाचन परणाम का प्रकाशन

झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 85 के अनुसरण में मैं एतद् द्वारा यह अधिसूचित करती हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में नामित व्यक्ति, स्तम्भ (2) में अंकित पद पर, स्तम्भ (5) में वर्णित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है :-

व्यक्ति का नाम	पद का विवरण			ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद जिससे संबंधित है (निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम सहित)
	पद	आरक्षित/अनारक्षित	महिला/अन्य	
1	2	3	4	5
मीना देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु0 जाति	महिला	II पलामू/01/07/मोहम्मदगंज-1 / मोहम्मदगंज टोला नदी पर, गोलापत्थर
अनिल पासवान	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु0 जाति	अन्य	II पलामू/01/07/मोहम्मदगंज-2 / मोहम्मदगंज टोला - झरीवा, राजनडीह
राज कुमार	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	अन्य	II पलामू/01/07/मोहम्मदगंज-3 / मोहम्मदगंज बाजार उ0 भाग अंश

किरण सिंह	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/07/मोहम्मदगंज-4	/ मोहम्मदगंज बाजार उ0 भाग अंश
मंजु देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु0 जाति	महिला	II पलामू/01/07/मोहम्मदगंज-5	/ मोहम्मदगंज अंश टोला पदारथडीह किसुनडीह
सुमीत्रा देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/07/मोहम्मदगंज-6	/ मोहम्मदगंज अंश टोला रामनगर, कोलनीपर
सिद्धार्थ कुमार	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	अन्य	II पलामू/01/07/मोहम्मदगंज-7	/ मोहम्मदगंज अंश बाजार टोला द0 भाग
रामलाल मेहता	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	अन्य	II पलामू/01/07/मोहम्मदगंज-8	/ मोहम्मदगंज अंश टोला भिलापर
विद्यावती देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	II पलामू/01/07/मोहम्मदगंज-9	/ मोहम्मदगंज अंश टोला भिलापर
मुकेश मेहता	ग्राम पंचायत सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	II पलामू/01/07/मोहम्मदगंज-10	/ मोहम्मदगंज अंश टोला विचलाडीह
विन्दा देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/07/मोहम्मदगंज-11	/ मोहम्मदगंज अंश टोला विचलाडीह

स्थान :- मेदिनीनगर

तारीख :-06.01.2011

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर।

टिप्पणी :-1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तक स्तम्भ-3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति-जाति, पिछड़ा वर्ग यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तक "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।

2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित है तब स्तम्भ 4 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाये।

ग्राम पंचायत-कादलकुर्मी

प्रखण्ड-मोहम्मदगंज

पंचायत
निर्वाचन

प्रपत्र - 23

(नियम 85 देखिये)

निर्वाचन परणाम का प्रकाशन

झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 85 के अनुसरण में मैं एतद् द्वारा यह अधिसूचित करती हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में नामित व्यक्ति, स्तम्भ (2) में अंकित पद पर, स्तम्भ (5) में वर्णित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है :-

व्यक्ति का नाम	पद का विवरण			ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद जिससे संबंधित है (निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम सहित)
	पद	आरक्षित/अनारक्षित	महिला/अन्य	
1	2	3	4	5
सुभाष चन्द्र बोस	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	अन्य	II पलामू/01/08/कादलकुर्मी-1 / कादल कुर्मी
अंजु देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/08/कादलकुर्मी-2 / कादल कुर्मी अंश
शारदा कुंवर	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	महिला	II पलामू/01/08/कादलकुर्मी-3 / कादल कुर्मी अंश
शिला देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु0 जाति	महिला	II पलामू/01/08/कादलकुर्मी-4 / कादल कुर्मी अंश
अजय राम	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु0 जाति	अन्य	II पलामू/01/08/कादलकुर्मी-5 / कादल कुर्मी अंश
प्रदीप राम	ग्राम पंचायत सदस्य	अनारक्षित	अन्य	II पलामू/01/08/कादलकुर्मी-6 / कादल कुर्मी अंश, हाथीदह झरहा, सीताचुआं, बे0चिरागी
शोभा देवी	ग्राम पंचायत सदस्य	अनु0 जाति	महिला	II पलामू/01/08/कादलकुर्मी-7 / माहुर, झरही

स्थान :- मेदिनीनगर

तारीख :-06.01.2011

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर।

टिप्पणी :-1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तक स्तम्भ-3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति-जाति, पिछड़ा वर्ग यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तक "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।

2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित है तब स्तम्भ 4 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाये।